मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल/06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 392] भोपाल, बुधवार, दिनांक 1 अगस्त 2007—श्रावण 10, शक 1929

बीस सूत्र कार्यान्वयन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2007

क्र. एफ.-2-8-2006-43-बीस सूत्र.—मध्यप्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन अधिनियम, 1991 (क्रमांक 14 सन् 1991) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन नियम, 1991 में निम्नलिखित संशोधन करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. अहिरवार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल 2007

मध्यप्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन अधिनियम, 1991 (क्रमांक 14 सन् 1991) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन नियम, 1991 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"3. **आरक्षण.**—कुल सदस्यों में से कम से कम,—

(एक) प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तरीय समिति में महिला अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में से प्रत्येक के लिये एक-एक पद आरक्षित रहेगा;

(दो) प्रत्येक खण्ड स्तरीय समिति में महिला, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में से प्रत्येक के लिये एक-एक पद आरक्षित रहेगा तथा उनकी कुल संख्या समिति के सदस्यों की संख्या के कम से कम 20 प्रतिशत होगी;

(तीन) प्रत्येक नगर स्तरीय समिति में महिला अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में से प्रत्येक के लिये एक-एक पद आरक्षित रहेगा तथा उनकी कुल संख्या समिति के सदस्यों की संख्या के कम से कम 20 प्रतिशत होगी.

(चार) जिला स्तरीय समिति में महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में से प्रत्येक के लिये एक-एक पद आरक्षित रहेगा तथा उनकी कुल संख्या समिति के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम 20 प्रतिशत होगी;

(पांच) राज्य स्तरीय समिति में महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में से प्रत्येक के लिये पांच-पांच पद आरक्षित रहेंगे तथा उनकी कुल संख्या समिति के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम 20 प्रतिशत होगी.''.

2. नियम 4 में, शब्द ''ग्राम पंचायत'' के पश्चात्, शब्द ''नगर'' अन्तःस्थापित किया जाये.

3. नियम 6 के उपनियम (एक) में, शब्द ''ग्राम पंचायत'' के पश्चात्, शब्द ''नगर'' अन्तःस्थापित किया जाए.

4. (1) नियम 7 के उपनियम (1) में, शब्द ''ग्राम पंचायत'' के पश्चात्, शब्द ''नगर'' अन्तःस्थापित किया जाए.

(2) नियम 7 के उपनियम (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(दो) उपनियम (एक) में निर्दिष्ट समिति के प्रत्येक सम्मिलिन में यथास्थिति सभापति या उपसभापति समिति की अध्यक्षता करेंगे और दोनों की अनुपस्थिति में, सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिये उपस्थित सदस्य अपने में से एक का चयन करेंगे.''.

(3) नियम 7 के उपनियम (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(तीन) राज्य स्तरीय समिति की अध्यक्षता सभापति द्वारा की जायेगी तथा उनकी अनुपस्थिति में सम्मिलन स्थगित किया जायेगा.''.

5. नियम 8 में, शब्द ''अन्यथा'' के स्थान पर, शब्द ''तथा'' स्थापित किया जाए.

6. नियम 9 के उपनियम (एक) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(एक) ग्राम पंचायत स्तरीय समिति के सम्मिलिन के लिये गणपूर्ति दो सदस्यों से, और खण्ड स्तरीय समिति के लिये गणपूर्ति पांच सदस्यों से तथा नगर स्तरीय समिति के लिये गणपूर्ति पांच सदस्यों से तथा जिला स्तरीय समिति के लिये गणपूर्ति दस सदस्यों से होगी. राज्य स्तरीय समिति के लिये कोई गणपूर्ति नहीं होगी.''.

In exercise of the powers confered by sub-section (1) of Section 8 of the Madhya Pradesh (Lok Abhikaranon Ke madhyam Se) Dindayal Antyoday Karyakram Ka Karyanvyan Adhiniyam, 1991 (No. 14 of 1991), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh (Lok Abhikaranon Ke Madhyam Se) Dindayal Antyoday Karyakram Ka Karyanavayan Niyam, 1991, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. For rule 3, the following rule shall be substituted, namely :—

"3. **Reservation**.—Out of the total number of members at least,—

(i) One each shall be reserved for woman, Scheduled Caste/Scheduled Tribe members in every Gram Panchayat Level Committee;

(ii) One each shall be reserved for woman, Scheduled Caste/Scheduled Tribe members in each of the Block Level Committee and their total number shall be at least 20% of total number of members of the committee;

(iii) One each shall be reserved for woman, Scheduled Caste/Scheduled Tribe members in each of the Town Level Committee and their total number shall be at least 20% of the total number of members of the committee;

(iv) One each shall be reserved for woman, Scheduled Caste and Scheduled Tribes in each of the District Level Committee and their total number shall be at least 20% of the total number of members of the committee;

(v) Five each shall be reserved for woman, Scheduled Caste and Scheduled Tribe members in the State level committee and their total number shall be at least 20% of the total number of members of the committee;

2. In rule 4, after the words "Gram Panchayat", the word "Town" shall be inserted.

3. In sub-rule (i) of rule 6, after the words "Gram Panchayat", the word "Town" shall be inserted.

4. (1) In sub-rule (i) of rule 7, after the words "Gram Panchayat", the word "Town" shall be inserted.

(2) For sub-rule (ii) of rule 7, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(ii) At every meeting of the Committee refered to in sub-section (1), the Chairman or the Vice Chairman as the case may be, shall preside over the meeting and in the absence of both, members present shall choose one member from amongst themselves to preside over the meeting.".

(3) For sub-rule (iii) of rule 7, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(iii) The Stale Level Committee shall be presided over by the chairman and in his absence, the meeting shall be adjourned.".

5. In rule 8, for the word "otherwise", the word "and" shall be substituted.

6. For sub-rule (i) of rule 9, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(i) The quorum for the meeting of committee at the Gram Panchayat Level shall be two and at the Block Level, it shall be five and at the Twon Level, it shall be five and at the District Level, the same shall be ten. There shall be no quorum for the State Level Committee.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. अहिरवार, उपसचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.